

क्रमांक:-प.2(9132)/DOIT/ESTT/20/00296/2023

जयपुर, दिनांक: 11/01/2023

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष, 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के तहत इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ2(9091)डीओआईटी/संस्था/20/एमएल-833 दिनांक 10.07.2020 के द्वारा श्री आकाश सैनी को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिसके पश्चात् श्री आकाश सैनी, कनिष्ठ सहायक ने अपने पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है को वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद की Pay Matrix के अन्तर्गत L-5 लेवल पर वेतन एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं.	मेरिट/रोल नं.	कनिष्ठ सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण एवं स्थाईकरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	5363	श्री आकाश सैनी	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जालौर	13.07.2020 (मध्याह्न पूर्व)	12.07.2022	13.07.2022

वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में उपर्युक्त कनिष्ठ सहायक का कॉलम सं. 7 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद का शिड्यूल-1 (Part-B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-5 लेवल का न्यूनतम (First cell) की राशि रुपये 20800/- पर नियत किया जाता है। श्री आकाश सैनी, कनिष्ठ सहायक के नियमितकरण/स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जावे।

पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 के अनुसार श्री आकाश सैनी, कनिष्ठ सहायक की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2023 होगी।

आज्ञा से,



(सुनील छाबड़ा)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जालौर।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, सू. प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
4. श्री आकाश सैनी, कनिष्ठ सहायक, जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जालौर।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रशासनिक अधिकारी